लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/अ–2/31/09/94 भोपाल, दिनांक 27/1/10

//आदेश//

कार्यालयीन आदेश क्रमांक स्था.–2/ए/15/2006/710–711 दिनांक 15.05.06 के सरल क्रमांक 41 द्वारा श्री मंतराम गजाम, प्र.अ.शा.मा.वि.मेनीखापा छिन्दवाड़ा की पदोन्नति व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर अजजा संवर्ग में की गई थी। श्री गजाम द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने से कनिष्ठ लोक सेवकों की पदोन्नति उनके वरिष्ठता क्रम से पूर्व व्याख्याता पद पर होने के फलस्वरूप दिनांक 03.08.96 से वरिष्ठता की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा एवं प्राचार्य शा.उ.मा.वि.उमरानाला मोहखेड़ छिन्दवाड़ा ने संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था.2/अ/38/2008/421 दिनांक 17.04.09 अंतर्गत निर्धारित 12 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की है, जिसके परीक्षण उपरांत एवं कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर श्री मंतराम गजाम, व्याख्याता को "काम नहीं दाम नहीं" के सिद्धांत के आधार पर दिनांक 03.08.96 से एतद् द्वारा पत्र वरीयता प्रदान की जाती है। उल्लेखित पत्र वरीयता दिनांक से संबंधित व्याख्याता का नोशनल पें फिक्सेशन मान्य होगा, और उन्हें उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ एवं एरियर्स की पात्रता नहीं होगी ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.2/अ–2/31/09/95 भोपाल, दिनांक 27/1/10

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला छिन्दवाडा को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता के सेवाअभिलेखों से मिलान कर सुनिश्चित करें कि उल्लेखित पत्र वरीयता अवधि के अनुसार संबंधित व्याख्याता की किसी अन्य विषय अंतर्गत पूर्व में पदोन्नति तो नहीं की गई है, पुष्टि उपरांत ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें ।
4. सहायक संचालक (स्थापना–1) स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. ओ.एस.डी. (स्थापना–2) स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. श्री मंतराम गजाम व्याख्याता शा.उ.मा.वि.उमरानाला मोहखेड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश